



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 15 जुलाई, 2021

आषाढ 24, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन  
पंचायतीराज अनुभाग-2

संख्या 1767/33-2-2021  
लखनऊ, 15 जुलाई, 2021

### अधिसूचना

प0आ0-216

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश अंतरिम जिला परिषद् अधिनियम, 1958 ( उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1958) की धारा 6 के खण्ड (8) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश अंतरिम जिला परिषद (कठिनाइयों को दूर करना) (प्रथम) आदेश, 1961 को विखण्डित करती हैं, सिवाय उन चीजों के संबंध में जो ऐसे विखण्डन के पूर्व किये गये हों या निकाले गये हों।

आज्ञा से,  
मनोज कुमार सिंह,  
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification no. 1767/XXXIII-2-2021, dated July 15, 2021 :

No. 1767/XXXIII-2-2021

*Dated Lucknow, July 15, 2021*

IN exercise of the powers under clause (8) of section 6 of the U.P. Antarim Zila Parishad Act, 1958 (U.P. Act no. XXII of 1958) *read* with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to rescind the U.P. Antarim Zila Parishad (Removal of Difficulties (s) (First) Order, 1961 except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

By order,

MANOJ KUMAR SINGH,

*Apar Mukhya Sachiv.*